Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Supply Revision No.- 149/2023

Bulai @ Bulae Marandi ..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	16.12.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्त्ति पुनरीक्षण वाद न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा आपूर्त्ति अपील वाद सं0–99/2022 में दिनांक–25.03.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.- 4355 में दिनांक–17.05.2023 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा एक–पक्षीय आदेश पारित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी द्वारा इनकी P.D.S. अनुज्ञप्ति सं0–10/2016 को रद्द किये जाने के आदेश को बरकरार रखा गया जो सही नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी द्वारा इन्हें बिना कोई अवसर दिये आदेश ज्ञापांक–88 दिनांक–11.01.2021 द्वारा इनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, अमौर द्वारा दिनांक–15.08.2020 को तथाकथित जाँच के आलोक में उन्हें कोई कारण–पृच्छा तामिल नहीं कराया गया। निरीक्षी पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में समर्पित किया कि भंडार में खाद्यान्न की कमी पाई गई जिससे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कालाबाजारी किया जाना परिलक्षित होता है। आवेदक को दिनांक–20.12.2020 का कारण–पृच्छा भी इन्हें प्राप्त नहीं कराया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि इन्हें तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का अवसर दिया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इनके पक्षों की बिना सुनवाई किये आदेश पारित करना नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल है। इनके द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं की गई है। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा भी मनमाने ढ़ंग से अपील अस्वीकृत कर दिया गया है, जो सही नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी ने ज्ञापांक–545 दिनांक–12.09.2023 द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, अमौर द्वारा दिनांक–15.07.2020 को आवेदक के दुकान की जाँच की गई। भंडार में गेहूँ 81 बोरा = 40.05 क्विंटल, चावल 160 बोरा = 80 क्विंटल एवं दाल 11 बोरा = 5.05 क्विंटल लगभग पाया गया जबकि SIO के अनुसार विक्रेता द्वारा उठाव किये गये अनाज की मात्रा अन्त्योदय गेहूँ 3.78	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 16.12.2023	क्विंटल, चावल 5.075 क्विंटल, P.H.H. गेहूँ 49.30 क्विंटल तथा चावल 73.95 क्विंटल था। इस प्रकार गेहूँ 53.08 क्विंटल = 106 बोरा होना चाहिए जो भंडार में उपलब्ध था। दुकान को आवंटित e-POS मशीन से माह जून की पर्ची से क्रमशः मिलान करने पर गेहूँ 14.98 क्विंटल, चावल 22.47 क्विंटल एवं दाल 43 क्विंटल तथा प्रधानमंत्री कल्याण योजना का चावल 74.73 क्विंटल भंडार में उपलब्ध नहीं पाया गया। कार्यालय ज्ञापांक–2591 दिनांक–28.07.2020 एवं ज्ञापांक–4046 दिनांक–20.12.2020 द्वारा कारण–पृच्छा की माँग किये जाने पर कोई जबाव नहीं दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि सरकार द्वारा अनुदानित खाद्यान्न स्टॉक में कम पाया जाना आवेदक के घोर लापरवाही एवं कालाबाजारी को दर्शाता है। आदेश ज्ञापांक–88 दिनांक–11.01.2021 द्वारा इनकी अनुज्ञप्ति सं0–10/2016 को रद्द करते हुए निकटतम P.D.S. वितरक श्रीमति मोहसरी बेगम से संबद्ध किया गया। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी की सूचना के आलोक में रद्द विक्रेता द्वारा संबद्ध विक्रेता को खाद्यान्न हस्तांतरित नहीं करने के विरूद्ध कार्यालय ज्ञापांक–2054 दिनांक–28.07.2021 द्वारा तीन दिनों के अंदर खाद्यान्न हस्तांतरित करने का निदेश दिया गया। किन्तु रद्द विक्रेता द्वारा इनकी अवहेलना कर दी गई। फलतः प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, अमौर ने पत्रांक–86 दिनांक–04.07.2022 द्वारा सूचित किया गया कि रद्द विक्रेता के विरूद्ध अमौर थाना कांड सं0–58/22 धारा–7 E.C. Act के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। रद्द विक्रेता के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद सं0–771/2022–23 भी दायर किया गया जिसमें इनके विरूद्ध मो0–2,59,087/– रूपये देनदारी तय किया गया, तब देनदार द्वारा दिनांक–07.02.2023 को लिखित आवेदन समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि के बदले खाद्यान्न को संबद्ध विक्रेता महोशरी बेगम को हस्तगत करा दिया गया है। जिसके आलोक में नीलाम पत्र वाद को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से समुचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदक के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में दो बार कारण–पृच्छा की माँग की गई किन्तु आवेदक द्वारा समर्पित नहीं किया गया जबकि समाहर्त्ता ने अपने आदेश में पाया है कि अभिलेख में कारण–पृच्छा का तामिला उपलब्ध है। भंडार में खाद्यान्न की कमी पाये जाने के आलोक में आवेदक द्वारा इसका कोई संतोषजनक उत्तर किसी भी न्यायालय में नहीं दिया गया है। इस न्यायालय में भी पूर्व के तथ्यों को मात्र दुहराया गया है। इतना ही नहीं आवेदक द्वारा संबद्ध P.D.S. विक्रेता को शेष खाद्यान्न हस्तांतरित नहीं करना उनके दूषित आचरण को प्रदर्शित करता है जिसके विरूद्ध प्राथमिकी एवं नीलाम पत्र वाद दायर करना पड़ा। आवेदक के ऐसे आचरण से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि ऐसे विक्रेता के पक्ष में अनुज्ञप्ति बनाये रखना समाज के हित में न्यायोचित नहीं है। फलतः निम्न न्यायालय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें।	

Web Copy Not Official.

		लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.